संख्या–718 / चार–09–43(बजट)/07

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव
उ.प्र.शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी,2009

विषय:–प्रदेश के तहसील क्षेत्र में खुले मंच(प्रेक्षागृह) के निर्माण की योजना के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के तहसील क्षेत्रों में खुले मंच (प्रेक्षागृह) के निर्माण की योजना सांस्कृतिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने एवं उपलब्ध मनोरंजन के साधनों के सदुपयोग एवं जनमानस को उसका समुचित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से हेतु संस्कृति विभाग द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में संचालित की जानी है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित मार्गदर्शी नीति प्रतिपादित किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

1– इस योजना के अन्तर्गत तहसील क्षेत्र में मंच एवं ग्रीनरूम की स्थायी व्यवस्था वाले,खुले प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जायेगा, जिसके लिये न्यूनतम 50 वर्ग मी0 X 30 वर्ग मी0 समतल, विकसित भूमि, जिसमें आवागमन के साधन उपलब्ध हों, की आवश्यकता होगी। खुले/मुक्ताकाशी मंच के निर्माण हेतु स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

2–योजना का क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार किया गया मानक आगणन अनु मानित लागत रू0 19.71 लाख के अनुसार खुला मंच/मुक्ताकाशी मंच का निर्माण कराया जायेगा।

3– इस निर्माण कार्य में निम्नलिखित प्राविधान रखें जावेंगे:–

1–ऑफिस रूम :– 3मी0 X 3मी0 (एक)
2–ग्रीन रूम (दो) – 4.5 मी0 X 4.5 मी0(पुरूष व महिला)
3–स्टेज– 9.0मी0चौड़ा X15.25मी0 लम्बा X 0.90 मी0 ऊँचा (शेड के साथ)
4–शौचालय– दो (महिला एवं पुरूष ग्रीन रूम से सम्बद्ध)
5–इण्डिया मार्का –II हैण्डपम्प
6–आन्तरिक विद्युत वायरिंग

4— जिलाधिकारी कार्यदायी संस्था का चयन अपने स्तर से भी कर सकते हैं परन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये मानक आगणन के अनुसार ही कुल लागत रू0 19.71 लाख के अन्तर्गत ही सम्पूर्ण कार्य कराया जायेगा।

5— खुले मंच(प्रेक्षागृह)के रख—रखाव के लिये एक समिति निम्नवत् गठित की जायेगी:—

1—	संबंधित जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2—	संबंधित मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3—	संबंधित उप जिलाधिकारी	सचिव
4—	संस्कृति विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5—	संबंधित जनपद के सूचना अधिकारी	सदस्य
6—	संबंधित नगरपालिका परिषद /नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अथवा संबंधित ग्राम सभा के ग्राम प्रधान	सदस्य

6— इस हेतु धनराशि निदेशक, संस्कृति के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

7— योजना के अन्तर्गत प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त सिद्धान्त के आधार पर पहले प्राप्त प्रस्तावों पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर धनराशि पहले अवमुक्त की जायेगी।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1— निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

2— प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

3— महाप्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि. गोमतीनगर, लखनऊ।

4— निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम, लखनऊ।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।